


23/07/24

पत्रावली प्रेषा हुई। गैर लापता अनुपस्थित
पत्रावली का आवलोकन किया गया।
गैर लापता के विरुद्ध इतरागत में
वाग्विरोध मुकदमे करीबन 11 से 12 वर्ष
पूर्व से हैं तथा संबंधित धाना अधिसूची
द्वारा इति आदेश में प्रस्ताव को डी.आर.के.पी.
स्वास्थ्य प्रेषा नहीं किया गया है। जिससे
बह बाहिर होगा ये कि गैर लापता
आली भी इन आपराधिक कृत्य में
शरह है तथा उनकी  रिकॉर्डिंग या
कृत्य से जिसमें किसी व्यक्ति।

दमा नं०

सं०

अनवान

बनाम

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अदकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

राज्य के मुकदमा या खतरा होने
की संभावना है। मही नदी प्रकल्प
के तहत एक पारिस्थितियों के आधार
पर राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम
1975 की धारा 3 में परिचित आदेशक
आधार नहीं है। जिसके आधार पर
उसके जिले या उसके किसी भाग हेतु
बाहर करने का आदेश दिया जाये।
जिला पुलिस अधीक्षक दुमानगर द्वारा
सम्बन्धित महसुला विरुद्ध गैर आपल
दस्तावेजों के पुत्र मोहम्मद अली पारि
मुकदमान लीलाट मि- वाई नं०- 24
उल्लिखित धाना भादवा जिला दुमानगर
के ग्रुप (Group) जिला पारिस्थितियों प्रकल्प
के अन्तर्गत एक गैर ठेका कर देकर
कोषित दाखल है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
द्वारा (सम्बन्धित)